न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– अभिलाषा, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 2021/103 जीसीएमएस

1. आसाराम
2. गिरधारी लाल
3. भंवरलाल
4. निर्मला
5. रामेश्वर

पिसरान अर्जनराम अकवाम नायक साकिनाय 9 पीएसडी–ए, तहसील रावला, जिला श्रीगंगानगर राज0।

....अपीलान्ट्स

बनाम

1. देवली पुत्री अर्जुनराम उम्र 68 वर्ष।
2. विधादेवी पुत्री अर्जुनराम उम्र 55 वर्ष।

पिसरान अर्जन राम अकवाम नायक साकिनाय 9 पीएसडी–ए तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर राज0।

3. ग्राम पंचायत 9 पीएसडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत 10 केडी पंचायत समिति घड़साना, जिला श्रीगंगानगर राज0।
4. छोटी पत्नी शंकरलाल।
5. कमला पुत्री शंकरलाल।
6. दीवानचन्द पुत्री शंकरलाल।
7. रीना पुत्री शंकरलाल।

पिसरान अर्जन राम अकवाम नायक साकिनाय 9 पीएसडी–ए तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज0।

....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः– 1. श्री रामचन्द्र सिहाग, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री मदन ज्याणी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।

अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 313 आदेश दिनांक 20.11.2018 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत 9 पीएसडी–ए

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 13.07.2022

अपीलान्ट्रा की ओर से एक अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 313 आदेश दिनांक 20.11.2018 द्वारा ग्राम पंचायत 9 पीएसडी–ए प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट संख्या 1 ता 5 के पिता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 7 के ससुर/दादा श्री अर्जन राम के नाम से

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

चक 9 पीएसडी–ए के पन 177/55 के किला न. 1 ता 25 की 6.325 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि खातेदारी रकबा था जो अपने पुत्रों को अपने जीवनकाल में बराबर–बराबर बांट कर दी थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अत्यधिक शातिर व चालाक किस्म की है जिन्होंने पिता की मृत्यु होने पर सही तथ्यों को छुपाते हुए विरासतन इंतकाल दर्ज करवाने के बाद दिनांक 28.08.2018 को माता जेठी देवी से विधि विरूद्ध तथा तथाकथित दस्तबदारी उप पंजीयक रावला से पंजीकृत करवाई तथा ग्राम पंचायत 9 पीएसडी से दिनांक 20.11.2018 को अपीलान्ट्स को बिना सुने विधिक प्रक्रिया से हट कर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए विधि विरूद्ध इंतकाल स्वीकृत करवा लिया जिसका इल्म अपीलान्ट्स को उस समय हुआ जब अपीलान्ट्स के पास न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना से वाद पत्र के नोटिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के दिनांक 16.02.2021 की पेशी पर आये तब दिनांक 16.02.2021 की पेशी पर अपीलान्ट्स ने हाजिर दावा में पेश हुए तो हैरान रह गये जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स यह अपील पेश कर रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश रूहदाद सिविल प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत खिलाफ कानून होने के कारण काबिले निरस्ती के है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य परिस्थितियों पर गौर ना कर भारी कानूनी भूल की है इसलिए अधीनस्थ अदालत का आदेश काबिले निरस्ती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह दर्ज किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की माता अपीलान्ट्स संख्या 1 ता 5 की भी माता व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 7 की सास/दादी ने अपना दस्तबदारी विलेख रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया है जो सहदायिकी की सम्पति होने के कारण किसी एक व्यक्ति के पक्ष में हक त्याग नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो कोई स्पष्टीकरण मांगा, ना ही कोई टिप्पणी की बल्कि कानून की अनदेखी कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये नामान्तरण संख्या 313 दिनांक 20.11.2018 स्वीकृत कर बिना कानूनी भूल की है अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.11.2018 काबिल निरस्ती के है। पिता से प्राप्त रकबा पर अपीलान्ट्स काबिज काश्त है जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की माता, अपीलान्ट्स की माता एवं आवश्यक पक्षकार 4 ता 7 की सास/दादी को रेस्पोडेन्ट संख्या केवल 1 व 2 के पक्ष में दस्तबदारी करवाने का अधिकार नहीं था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के मन में बेईमानी थी जो अपीलान्ट्स की माता के नाम की उक्त सहदायी भूमि से वंचित करना चाहती थी जो अपीलान्ट्स को बिना सुने विधि विरूद्ध नामान्तरण संख्या 313 दर्ज करवाकर कानूनी भूल की है जो काबिल निरस्ती के है। अपीलान्ट्स को इसका इल्म दिनांक 16.02.2021 की पेशी का नोटिस आया तब तारीख पेशी पर गये तो पता चला कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने माता जेठी देवी से उनके 1/9 हिस्सा की दस्तबदारी अकेले अपने नाम से विधि विरूद्ध व्यक्ति विशेष के पक्ष में दिनांक 28.08.2018 को करवा कर दिनांक 20.11.2020

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

को नामान्तरण विधि विरूद्ध करवा लिया तब दिनांक 26.02.2021 को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बिना देरी के उक्त अपील पेशी की जा रही है। अपील पेश करने के लिए हुई देरी के लिए छूट हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने दस्तबरदारी अपने नाम से करवा कर इन्तकल दर्ज अपने नाम करवाने के कारण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 7 को अपीलान्ट्स का इन्तकाल में सहयोग न करने के कारण एवं सहकाश्तकार (हिस्सेदार) होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 7 से कोई रिलीफ नहीं मांगा गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा नामान्तरण स्वीकृत आदेश पारित किए जाने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत 9 पीएसडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.2018 को निरस्त कर पुनः विधि सम्मत इंतकाल दर्ज किये जाने के आदेश पारित करें।

अपील के साथ प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन कर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मदन ज्याणी उपस्थित आए।

विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जेठीदेवी ने उक्त भूमि में अपने हिस्सा का हक त्याग रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया है जबकि हक त्याग किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में नहीं किया जाकर सभी वारिसान के पक्ष में किया जाना होता है। इसलिए अपीलकृत नामान्तरण संख्या 313 को निरस्त किया जाकर पुनः नामान्तरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने दौराने बहस निवेदन किया कि अर्जुनराम की दो शादियां हुई थी एवं अर्जुनराम की पत्नी जेठी देवी के स्वयं की 2 ही सन्तान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 थीं, इसलिए जेठीदेवी द्वारा अपने हिस्से का हकत्याग रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया। उक्त हकत्याग एक पंजीकृत दस्तावेज है जिसे सिविल न्यायालय से शून्य घोषित करवाया जा सकता है लेकिन इससे संबंधित अपील राजस्व न्यायालय में नहीं की जा सकती है। इसलिए यह अपील अस्वीकार की जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त **आर.आर.टी. 2014 पृष्ठ सं0 512, 513 कमला देवी बनाम चम्पालाल** पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सह सम्मान अवलोकन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अर्जुनराम की पत्नी जेठीदेवी ने केवल 2 ही पुत्रियों के पक्ष में अपने हिस्से की भूमि का हकत्याग किया है। न्यायालय का निष्कर्ष है कि उक्त हकत्याग सभी वारिसान के पक्ष में किया जाना चाहिए था। इसलिए अपीलाधीन इन्तकाल निरस्त किया जाकर अपील अपलान्ट्स स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत 9 पीएसडी–ए द्वारा निर्णीत अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 313 दिनांक 20.11.2018 निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार रावला को इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार पुनः नामान्तरण की कार्यवाही करें।

यह आदेश आज दिनांक 13.07.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिलाषा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना